



PATWARI PROJECTS

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

Details to Project Launched in past five years

1. Kapil Nagina Apartment — Rera No — BRERAP00020-1/09/R6/18 - Project Completed
2. Anand Residency — Rera No BRERAP00020-7/1348/R-1185/2021 - Ongoing Project

Enclosure — Completion Certificate of Kapil Nagina Apartment

For PATWARI PROJECTS

Shankham Patwari
Partner

To,

Date: 08.07.2020

Real Estate Regulatory Authority
5th Floor, Bihar State Building Construction
Corporation Limited Campus
Shastri Nagar Patna- 800023

Sub: Submission of Occupancy Certificate for **KAPIL NAGINA
APARTMENT** at Village-Mustaffapur, Rajnagar, Danapur Khagul
Road having Rera No: **BRERAP00020-1/09/R6/18**


Dear Sir,

With reference to above subject we are submitting Occupancy
certificate received for above mentioned project.

Enclosure- Copy of Occupancy certificate

Yours Faithfully

For PATWARI PROJECTS



Partner

For Patwari Projects



नगर परिषद दानापुर निजामत

तकियापर, दीघा, दानापुर

Email- nagarparishaddanapur@gmail.com

फारम-VIII

अधिभोग प्रमाण-पत्र

उपविधि संख्या- 16(1),(3)

नगर परिषद दानापुर बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित दानापुर विकास योजना कार्यपालक पदाधिकारी आयोजना स्कीम के अंतर्गत आच्छादित दानापुर के प्लॉट नं०-660, खाता नं०-201, तौजी नं०-5278, धाना नं०-36 तथा मौजा- मुरतफापुर जो भवन का नाम "कपील नगीना अपार्टमेन्ट" की बाबत किया गया निर्माण का कार्य मनोज कुमार निबंधन सं०-10/ARCH/2015/NPDM, श्री मनोज कुमार, निबंधन सं०-15/STR-E/2015/NPDM, के पर्यवेक्षण में समर्पित कार्य पूर्णता (समापन) प्रमाण-पत्र के अनुसार पटवारी प्रोजेक्ट के द्वारा निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। निरीक्षण करने पर देखा गया कि उपर्युक्त भूखंड की बाबत किया गया निर्माण अनुमोदित योजना तथा पत्र सं०- 71/17-18 दिनांक 30.08.2017 के द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुरूप है। निम्नलिखित के अध्यक्षीन, भवन के आवास हेतु अधिभोग के लिए अनुमति दी जाती है :-

B/U AREA STATEMENT

B/U AREA STATEMENT

Ground Floor	-----	34.68 sqm.
First Floor	-----	737.73 sqm.
Second Floor	-----	737.73 sqm.
Third Floor	-----	737.73 sqm.
Total B/U Area	-----	2247.87 sqm.

1. गणगित शुल्क को जमा करने
2. बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों का अक्षरस अनुपालन करने
3. रेरा (RERA) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का अक्षरस अनुपालन करने
4. पुराना भवन उपविधि / नया भवन उपविधि, 2014 के प्रावधानों का अक्षरस अनुपालन करने की शर्त पर वास्तुविद के प्रमाण-पत्र एवं नगर परिषद अनियता के सत्यापन के आधार पर उपर्युक्त भवन प्लान का Occupancy Certificate निर्गत किया जाता है।

हो/

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

झापांक:- 673 दिनांक:- 4/3/2020

प्रतिलिपि:- मेसर्स पटवारी प्रोजेक्ट, पार्टनर-श्री धनश्याम पटवारी, पिता-स्व० दुर्गा दत्त पटवारी एवं अन्य,
पता-शॉप नं०-04, ओम अप्लैक्स, एस०पी० बर्मा रोड, पटना-02 को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र
 बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 की उपधारा-(घ) के अधीन
 बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (ब)(iii) के अन्तर्गत
निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना का कार्यालय।

प्रेषक,

सेवा में,

निदेशक,
 राज्य अग्निशमन सेवा,
 बिहार, पटना ।

धनश्याम पटवारी एवं अन्य
 पार्टनर,
 पटवारी प्रोजेक्ट

संदर्भ :- क्रमांक..274.A..... दिनांक...2.9.11/2.3.21..

आवेदनकर्ता में वास्तुविद, मनोज कुमार (विशिष्ट आई.डी.नं 10/Arch/2015/NPDN)

विषय :- भवन निर्माण के लिए औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत ।
 महाशय,

राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के द्वारा गठित अग्नि सुरक्षा एवं निवारण स्कंध (FSPW) की संतुष्टि के उपरान्त व उक्त समिति में शामिल विशेषज्ञों की अनुशंसा के आलोक में भवन निर्माणकर्ता में **Patwari Projects** के द्वारा प्रस्तावित भवन/ब्लॉक का निर्माण हेतु बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15 (ब) (iii) के अंतर्गत औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है ।

प्रस्तावित भवन योजना से संबंधित भवन का नाम **M/s Patwari Projects, श्री धनश्याम पटवारी, पिता-स्व0 दुर्गा दत्ता पटवारी एवं अन्य का प्लॉट नं0-234, खाता नं0-139, तौजी नं0-18, थाना नं0-37, थाना-खगौल, मौजा-कोठवां, जिला-पटना** अधिभोग **आवासीय** उप श्रेणी भवन की ऊँचाई **17.98** (मीटर *में) फर्श क्षेत्र **8992.81** वर्गमीटर, भवन के तलो की संख्या **5**, तलघर की संख्या **1**, स्लिट/भूतल की संख्या **1**, भवन के ब्लॉक की संख्या **2**, प्रत्येक मंजिल का औसत अधिभोग भार **402**, लिफ्ट की संख्या **2**, फायर लिफ्ट की संख्या **शून्य**, रैम्प की संख्या **1**, आपातकालीन शरण स्थल (रिफ्यूजी एरिया) की संख्या **शून्य**, फायर टावर की संख्या **शून्य** है। राष्ट्रीय भवन संहिता के दिशा-निर्देश, स्थानीय भवन नियमावली एवं स्थानीय परिस्थिति के आधार पर निम्नलिखित सलाह/अनुशंसा के साथ भवन निर्माण योजना को स्वीकृति दी जाती है, जिसका अनुपालन संबंधित वास्तुविद/भवन निर्माणकर्ता/भू-स्वामी के द्वारा किया जाएगा।

भवन योजना पर प्रतिहस्ताक्षर के बाद आपके अनुमोदन हेतु अद्यस्तित किया जाता है :-

(1) भवन निर्माणकर्ता द्वारा भवन के लिए खुली जगह (मीटर) (उत्तर **4.50** मी0, दक्षिण **4.50** मी0, पूर्व **6.50** मी0, पश्चिम **4.50** मी0) एवं पलायन के साधन (आंतरिक सीढ़ियों की संख्या **3**, चौड़ाई **0.91,2.72** एवं **2.74** (मीटर)/बाह्य सीढ़ियों की संख्या **3**, चौड़ाई **0.91,1.75** एवं **1.70** (मीटर) प्रस्तावित किया गया है।

(2) खुला स्थान एवं पहुँच-

(क) भवन के चारो तरफ तत्समव प्रवृत्त भवन उपविधि एवं अन्य तत्संबंधी अधिनियम/नियम/विनियमन/स्थानीय आवश्यकता के अनुसार खुला स्थान होगा एवं अग्निशमन दस्ते के पहुँच एवं घुमाने के लिए न्यूनतम **3.60** मीटर जगह (भवन श्रेणी एवं निर्माण के अनुसार परिवर्तनीय) छोड़ा जाना चाहिए ।

(ख) भवन का पहुँच पथ मजबूत एवं चौड़ी हो जो **20** मिट्टिक टन अग्निशामक वाहन का भार आसानी से सहन कर सके।

(ग) भवन के प्रवेश द्वार की चौड़ाई **4.5** मीटर एवं ऊँचाई **5** मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

(3) बनावट :-

(क) प्रस्तावित भवन का पूरा निर्माण अनुमोदित योजना के अनुसार बिहार भवन उपविधि, 2014 समय-समय पर यथा संशोधित तथा स्थानीय नगर निकाय के भवन संबंधी नियमों को ध्यान में रखकर किया जाएगा ।

(ख) भवन का फर्श क्षेत्र **750** वर्गमीटर से अधिक होने की स्थिति में अलग-अलग दिवारों से उचित रूप से छत तक बाँटा जाएगा, जिसमें कम से कम दो घंटे तक अग्नि प्रतिरोधक क्षमता होगा ।

For PATWARI PROJECTS

Dhan Shyam Patwari
 Partner

(ग) भवन को आंतरिक सजावट अग्नि फैलाव निरोधक सामग्री से बना हुआ आईएसओ गुण स्तर का होगा।

(घ) भवन के केंद्रीय कोर डकट का बलूट के पास वेन्टीलेशन का प्रावधान होगा। सभी उर्वर डकट का सीढ़ी पर्याप्त अग्नि निरोधक क्षमता के सामग्री से करने का व्यवस्था करना होगा।

(4) सीढ़ी :-

(क) भवन का सीढ़ी बंद प्रकार का होगा। पूरे भवन निर्माण कार्य ईट/आर.सी.सी. से न्यूनतम 04 घंटे के अग्नि प्रतिरोधक क्षमता का होगा।

(ख) भवन का सीढ़ी के उर्वर भाग में स्थायी भेन्ट होगा जो सीढ़ी के ऊर्ध्व प्रेशरन पॉरिच का 15 प्रतिशत होगा। साथ ही सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का 15 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर प्रत्येक मंजिल के स्तर पर खुलने योग्य Sashes होगा। यह भवन के बाहरी दीवार पर प्रदान किया जाएगा।

(ग) भवन के सभी सीढ़ियों का निर्माण कमरे से अलग होगा एवं किसी भी कमरे में प्रवेश किये बिना हर मंजिल पर एक दूसरे से परगम्य होगा, जिसे संबंधित छत के लेवल तक बढ़ाया जाएगा। सीढ़ी वाली दीवार की छत आस-पास की छत के क्षेत्र से 1 मीटर ऊपर होगी।

(घ) विभिन्न श्रेणी के भवनों में सीढ़ी की चौड़ाई तथा कोरिडोर एवं यात्रा दूरी संबंधित भवन नियमों के अनुसार होगा।

(ङ) दो सीढ़ी के मामले में एक सीढ़ी बाहरी दीवार से होनी चाहिए।

(च) तलघर तक पहुँच के लिए दोनों सीढ़ी तलघर मंजिल तक नहीं जाना चाहिए। पहुँच के लिए एक अलग सीढ़ी होगा।

(5) अग्नि सुरक्षा प्रणाली :- राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के आलोक में निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा उपकरणों के प्रावधान के साथ अनुमोदित भवन योजना अग्रसारित किया जाता है:-

(क) होज रोल

(ख) ब्रेट राईजर-सह-डाउन कमर सिस्टम (2 अक्षर)

(ग) यार्ड हाईड्रेन्ट सिस्टम

(घ) हस्तचालित विद्युत अग्नि एलार्म सिस्टम

(ङ) पूरे भवन में ऑटोमैटिक डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम

(च) स्प्रिंकलर सिस्टम (आवश्यकतानुसार)

(छ) भूतल स्टैटिक टैंक की क्षमता 75000 लीटर

(ज) ओभर हेड वाटर टैंक 27200+11200 एवं 33702+15436 लीटर क्षमता

(झ) एक पम्प हाउस 2000 एल.पी.एम., इलेक्ट्रिक एवं डीजल 180 एल.पी.एम., जॉकी पम्प शुन्य एल.पी.एम. बूस्टर पम्प

(ञ) फायर एक्सटींग्यूअर

(6) संबंधित अधिनियम/नियम/विनियमन जैसे- बिहार भवन उपविधि, 2014, समय-समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, समय-समय पर यथा संशोधित बहुमंजिली भवन निर्माण विनियम, 1981, बिहार अग्निशामन सेवा अधिनियम, 2014, बिहार अग्निशामन सेवा नियमावली, 2021 में संबंधित अधिभाग के लिए वांछित अन्य शर्तों का पालन किया जाएगा। कुछ शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

(क) लिफ्ट :-

(i) भवन का लिफ्ट की दीवार न्यूनतम 02 घंटे का अग्नि निरोधक क्षमता का होगा।

(ii) भवन का लिफ्ट उच्च गति "फायर लिफ्ट" पर डिजाइन की जाएगी और योजना में स्पष्ट रूप से चिन्हित होगा।

(iii) सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में, स्वचालित वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। अपार्टमेंट भवनों के लिए विद्युत आपूर्ति में परिवर्तन हेतु हस्ताचालित परिवर्तनीय स्वीच के माध्यम से यह व्यवस्था

For PATWARI PROJECTS


Partner

किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से लिफ्ट इस तरह से वायर्ड होगा कि बिजली की विफलता की स्थिति में भी यह जमीन स्तर तक आयेगा एवं दरवाजा आसानी से खुल सकेगा।

(iv) आग लगने की स्थिति में प्रति घंटा 30 बार हवा परिवर्तन करने हेतु स्मोक वेटिंग सिस्टम का समावेश सभी लिफ्ट सॉफ्ट में कर धुँआ निकासी हेतु व्यवस्था की जाएगी। यह इस प्रकार का डिजाइन किया जाएगा कि स्प्रिंकलर एवं फायर एलार्म क्रियाशील हो सकें। सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में यह स्वचालित रूप से वैकल्पिक आपूर्ति के लिए कार्य करेगा।

(v) अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ लिफ्ट का संचार व्यवस्था बनाये रखने सहित अन्य सभी आवश्यकताएँ आई० एस० गुण स्तर के अनुरूप करना होगा, जिसमें भवन के लिफ्ट कार, अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ जुड़ी होनी चाहिए, जिससे संचार व्यवस्था बनी रहे।

(vi) राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित से संबंधित प्रावधानों का पालन करते हुए फायर लिफ्ट होना चाहिए जैसे 1200 वर्गमीटर के फर्श क्षेत्र के लिए एक फायर लिफ्ट होना चाहिए।

(ख) भवन में सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली जैसे प्रत्येक मंजिल पर लैण्डिंग भल्क के साथ डाउन कमर सिस्टम एवं होज रील, छत स्तर पर 900 एल०पी०एस० पम्प के साथ होगा। आई० एस० 2190/1992 तथा संबंधित विशिष्टियों का आई०एस०आई० मार्कड अग्निशामन यंत्र, फायर चैक दरवाजा, हस्तचालित कॉल अलार्म प्वाइन्ट, अग्नि सुरक्षा चमकीला संकेत एवं भवन निर्माण संहिता के अनुसार अन्य अग्नि निरोध उपाय किये जायेंगे।

(ग) तलधर में स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए एवं दो अलग-अलग निकास द्वार होना चाहिए।

(घ) भूतल जल स्टैटिक टैंक (20,000 लीटर से कम क्षमता का नहीं) स्वचालित रिफिलिंग की व्यवस्था के साथ हो, जहाँ अग्निशामक वाहन आसानी से पहुँच सकें। ओवर हेड वाटर स्टैटिक टैंक (10,000 लीटर क्षमता से कम नहीं) अधिवास के पूर्व हो जाना चाहिए।

(ङ) भवन के प्रत्येक मंजिल पर विद्युत कंबुल सील होनी चाहिए।

(च) भवन का कम्पार्टमेन्टेशन इस प्रकार होगा कि आग एवं धुँआ उसी क्षेत्र में सीमित रहेगा जहाँ अग्निकांड हुआ है तथा भवन के अन्य भागों में नहीं फैले।

(छ) भवन के अलगाव दीवार एवं फ्लोर में खुला स्थान - ऐसे सभी प्रकार के तथ्यों पर ध्यान देना होगा जो आग एवं धुँआ के फैलाव को इन खुला स्थानों में प्रवेश को सीमित कर सकें और बनावट का फायर रेटिंग बरकरार रह सके। सभी दीवार में खुला स्थान न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग के अग्नि निरोधक दरवाजा से सुरक्षित रहेगा। मंजिलों में सभी खुला स्थान vertical enclosure से सुरक्षित रहेगा एवं ऐसे enclosure का दीवार न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग का होगा।

(ज) मंजिलों के प्रत्येक vertical openings यथाचित रूप से बंद एवं सुरक्षित रहेगा तथा निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की जाएँ :-

(i) पलायन के रास्ता का प्रयोग करते वकत अधिवासियों को मंजिल दर मंजिल खुले स्थान से आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिवासियों के निकासी मार्ग में कम से कम 21 मिली मीटर का उपरी भाग खुला हो।

(ii) दो घंटे की फायर रेटिंग का अग्नि दरवाजा बाहर भागने/निकलने के रास्ते एवं लिफ्ट में प्रवेश के रास्ते तथा सीढ़ी पर एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए दिया जाएगा।


(iii) निकासी मार्ग का सुरक्षित प्रयोग हेतु स्मोक वेन्टिंग सुविधा प्रदान किया जाएगा।

(iv) अतिरिक्त सजावट से जहरीला धुँआ के उत्पन्न होने से बचाने हेतु धुँआ निरोधी सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा।

(v) भवन के निकासी मार्ग (सीढ़ी एवं कोरिडोर) का रीशनीकरण/सौदियों का प्रेसराइजेशन/ तलधर का वेन्टिलेशन राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार करना होगा।

(vi) एयर कंडिशनिंग एवं वेन्टिलेशन सिस्टम को इस प्रकार अधिष्ठापित किया जाएगा, जिससे आग एवं धुँआ एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर और भवन से बाहर नहीं फैल सकें। एयर फिल्टर में आग लगने पर धुँआ को फैलने से बचाने के लिए स्मोक सेन्सिटीव डिवाइस भवन में होना चाहिए। प्रत्येक तल पर आग और धुँए के हार्ड से बचाने के लिए प्रत्येक तल पर अलग-अलग एयर हैडलिंग यूनिट होना चाहिए। फायर डंपर्स को

For PATWARI PROJECTS



Partner

एगोसिओ सिस्टम में प्रदान किया जाएगा, ताकि आग की स्थिति में स्वचालित रूप से बंद हो सके और इस तरह अग्नि/धुआँ का फैलाव रोका जा सके।

(vii) विद्युत अधिष्ठापन- विद्युत सुरक्षा भारतीय विद्युत नियमावली एवं संबंधित आईएसओ/संहिता के प्रावधान के आलोक में होगा। लाईसेंस विद्युत ठेकेदार के द्वारा विद्युत अधिष्ठापन किया जाएगा। मुख्य रूप से अलग नली में वायरिंग, अलग सर्किट, स्वचालित सर्किट ब्रेकर, मास्टर स्वीच, इंसुलेशन पैनल दरवाजा, आपातकालीन/वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति का आवधिक सत्यापन आदि पर ध्यान दिया जाएगा।

(viii) भवन का अधिवास प्राप्त करने के बाद प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार नियमित रूप से फायर एक्जॉट ड्रिल किया जाना चाहिए।

(ix) अग्नि सुरक्षा अधिकारी- एगोसिओ 2016 और बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 के अनुसार।

(x) भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरणों आदि का एगोसिओ योग्य फर्म या व्यक्ति को दिया जाना चाहिए।

(xi) स्थापित नियम के आलोक में भवन के सेट बैक का चेकिंग वास्तुविद/पारित करने वाले द्वारा किया जाएगा।

(xii) यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सिफारिशों का पालन नहीं करने की स्थिति में भविष्य में होने वाली किसी भी कानूनी विवाद के मामले में, जिम्मेवारी डेवलपर/वास्तुविद/जमीन मालिक पर होगी एवं किसी भी सरकारी प्राधिकार (जैसे कि राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना) की नहीं होगी।

(xiii) इसके द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय (अर्थात् राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक, बिहार, पटना/प्राधिकृत पदाधिकारी) का कार्यालय उस भूमि के किसी भी कानूनी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं है, जिसपर प्रस्तावित भवन का निर्माण होगा।

(7) अनिवार्यतः अन्डरटेकिंग्स के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।

(8) इसे औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र माना जाएगा। उपरोक्त सभी अग्नि एवं जीवन सुरक्षा अनुशंसाओं के अनुपालन के बाद आवश्यक निरीक्षण एवं अधिष्ठापन के जाँच हेतु राज्य अग्निशमन कार्यालय को सूचित करना होगा। सभी बिन्दुओं की जाँच से संतुष्टि के बाद अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।

(9) अनुमोदित भवन योजना में बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी प्रकार का विचलन या परिवर्तन किये जाने की स्थिति में इस औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा।


(10) हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ नक्शा वापस किया जाता है/ऑनलाईन जगित किया जाता है।

अनुलग्नक

- 1) मेओ वास्तुविद, मनोज कुमार
- 2) अध्यक्ष नगर निगम, पटना


राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक,
बिहार, पटना।

For PATWARI PROJECTS


Partner

A. K. Salampuria & Associates

Chartered Accountants

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

We A.K. Salampuria & Associates, Chartered Accountants hereby certify that the firm named "PATWARI PROJECTS" having R/o at 4, Om Complex SP Verma Road, Patna 800001, PAN-AATFP9263B has Advances from customers amounting to **Rs. 69,30,171.51/-** (detailed below) for the project named " KAPILNAGINA APARTMENT" as on 31.03.2021 based on the audited balance sheet of the firm.


S.No.	Name	Amount (Rs.)
1	Vishal Patwari	34,13,297.80
2	Bhawani Shankar Agarwal	35,16,873.71

We hereby certify that no advance has been taken by the firm " PATWARI PROJECTS" in the project named "DEVKINANDAN VATIKA".

For A. K. Salampuria & Associates
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 004285C

Place: Patna

Date: 27.01.2022


(CA Akshya Singhania)
Partner
Membership No. 424348

UDIN- 22424348AAAABW2592

